मुसलमान किसे कहते हैं?

मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी

'बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम'

(अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील, अत्यंत दयावान है।)

मुसलमान किसे कहते हैं?

मुसलमान भाइयो! आज मैं आपके सामने मुसलमान के गुण बयान करूँगा, यानी यह बताऊँगा कि मुसलमान होने के लिए कम से कम शर्तें क्या हैं और आदमी को कम से कम क्या करना चाहिए कि वह मुसलमान कहलाए जाने के क़ाबिल हो।

इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि कुफ़्र क्या है और इस्लाम क्या है? कुफ़्र यह है कि आदमी ख़ुदा की फ़रमाँबरदारी से इनकार कर दे और इस्लाम यह है कि आदमी ख़ुदा का फ़रमाँबरदार हो और हर ऐसे तरीक़े या क़ानून या हुक्म को मानने से इनकार कर दे जो ख़ुदा की भेजी हुई हिदायत के ख़िलाफ़ हो। इस्लाम और कुफ़्र का यह फ़र्क़ क़ुरआन पाक में साफ़-साफ़ बयान कर दिया गया है :

> ''और जो ख़ुदा की उतारी हुई हिदायत के मुताबिक़ फ़ैसला न करें तो ऐसे ही लोग दरअसल काफ़िर हैं।'' —5:44

फ़ैसला करने का यह अर्थ नहीं है कि अदालत में जो मुक़द्दमा जाए बस उसी का फ़ैसला ख़ुदा की किताब के मुताबिक़

हो, बल्कि दरअसल इससे मुराद वह फ़ैसला है जो हर शख़्स अपनी ज़िन्दगी में हर वक़्त किया करता है। हर मौक़े पर तुम्हारे सामने यह सवाल आता है कि फ़लाँ काम किया जाए या न किया जाए? फ़लाँ बात इस तरह की जाए या उस तरह की जाए? फ़लाँ मामले में यह तरीक़ा अपनाया जाए या वह तरीक़ा अपनाया जाए? तमाम ऐसे मौक़ों पर एक तरीक़ा ख़ुदा की किताब और उसके रसूल की सुन्नत बताती है, और दूसरा तरीक़ा इनसान के अपने मन की ख़्वाहिशें, या बाप-दादा की रस्में, या इनसान के बनाए हुए क़ानून बताते हैं। अब जो शख़्स ख़ुदा के बताए हुए तरीक़े को छोड़कर किसी दूसरे तरीक़े के मुताबिक़ काम करने का फ़ैसला करता है, वह दरअसल कुफ़्र का तरीक़ा इख़्तियार करता है। अगर उसने अपनी सारी ज़िन्दगी ही के लिए यही ढंग इख़्तियार किया हो तो वह पूरा काफ़िर है और अगर वह कुछ मामलों में तो ख़ुदा की हिदायत को मानता हो और कुछ में अपने मन की ख़्वाहिशों को या रस्मो रिवाज को या इनसानों के क़ानून को ख़ुदा के क़ानून से बढ़कर मानता है तो जितना भी वह ख़ुदा के क़ानून से बग़ावत करता है उतना ही कुफ़्र में मुब्तला है। कोई आधा काफ़िर है, कोई चौथाई काफ़िर है, किसी में दसवाँ हिस्सा कुफ़्र का है और किसी में बीसवाँ हिस्सा। ग़रज़ जितनी ख़ुदा के क़ानून से बग़ावत है, उतना ही कुफ़्र भी है।

इस्लाम इसके सिवा कुछ नहीं है कि आदमी सिर्फ़ ख़ुदा का

बन्दा हो — न नफ़्स का बन्दा, न बाप-दादा का बन्दा, न ख़ानदान और क़बीले का बन्दा, न मौलवी साहब और पीर साहब का बन्दा, न ज़मींदार साहब और तहसीलदार साहब और मजिस्ट्रेट साहब का बन्दा, न ख़ुदा के सिवा किसी और साहब का बन्दा।

कुरआन में है —

"ऐ नबी! किताबवालों से कहो कि आओ हम-तुम एक ऐसी बात पर एकता कर लें जो हमारे और तुम्हारे बीच एक-सी है (यानी जो तुम्हारे नबी भी बता गए हैं और ख़ुदा का नबी होने की हैसियत से मैं भी वही बातें कहता हूँ)। वह बात यह है कि एक तो हम अल्लाह के सिवा किसी के बन्दे बनकर न रहें, दूसरे यह कि ख़ुदाई में किसी को साझी न मानें और तीसरी बात यह है कि हममें से कोई इनसान किसी इनसान को अपना मालिक और अपना स्वामी न बनाए। यह तीन बातें अगर वे नहीं मानते तो उनसे कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुसलमान हैं, यानी इन तीनों बातों को मानते हैं।"

—3 : 64

फिर फ़रमाया —

"क्या वे ख़ुदा की ताबेदारी के सिवा किसी और की ताबेदारी चाहते हैं। हालाँकि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ चाहे न चाहे ख़ुदा की ताबेदारी कर रही है, और सबको उसी की तरफ़ पलटना है।" — 3 : 83

इन दोनों आयतों में एक ही बात बयान की गई है। यानी यह कि असली दीन ख़ुदा की ताबेदारी और फ़रमाँबरदारी है। ख़ुदा की इबादत के माने यह है कि रात-दिन में हर वक़्त उसके हुक्मों का पालन करो, जिस चीज़ से उसने रोका है उससे रुक जाओ, जिस चीज़ का उसने हुक्म दिया है उसपर अमल करो। हर मामले में यह देखो कि ख़ुदा का हुक्म क्या है, यह न देखो कि तुम्हारा अपना दिल क्या कहता है, तुम्हारी अक़्ल क्या कहती है, बाप-दादा क्या कर गए हैं, ख़ानदान और बिरादरी की क्या मरज़ी है। जनाब मौलवी साहब क़िबला और जनाब पीर साहब क़िबला क्या फ़रमाते हैं और फ़लाँ साहब का क्या हुक्म है और फ़लाँ साहब की क्या मरज़ी है। अगर तुमने ख़ुदा के हुक्म को छोड़कर किसी की भी बात मानी तो मानो ख़ुदाई में उसको साझी ठहराया, उसको वह दर्जा दिया जो सिर्फ़ ख़ुदा का दर्जा है। हुक्म देनेवाला तो सिर्फ़ ख़ुदा है। क़ुरआन में है—

"हुक्म बस अल्लाह का है।"

बन्दगी के लायक़ तो सिर्फ़ वह है जिसने तुम्हें पैदा किया और जिसके बलबूते पर तुम ज़िंदा हो। ज़मीन और आसमान की हर चीज़ उसी का हुक्म मान रही है। कोई पत्थर किसी पत्थर की ताबेदारी नहीं करता, कोई पेड़ किसी पेड़ की ताबेदारी नहीं करता, कोई जानवर किसी जानवर की ताबेदारी नहीं करता, फिर क्या तुम जानवरों, पेड़ों और पत्थरों से भी गए गुज़रे हो गए कि वह तो सिर्फ़ ख़ुदा की ताबेदारी करें और तुम ख़ुदा को छोड़कर इनसान की

ताबेदारी करो?— यह है वह बात जो कुरआन की इन दोनों आयतों में बयान की गई है।

अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुफ्र और गुमराही दरअसल निकलती कहाँ से है। कुरआन पाक हमको बताता है कि इस कमबख़्त बला के आने के तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता इनसान के अपने मन की ख़्वाहिशें और मन की इच्छाएँ हैं। कुरआन का फ़रमान है—

> "यानी उससे बढ़कर गुमराह कौन होगा जिसने ख़ुदा की हिदायत के बजाए अपनी ही ख़्वाहिश की पैरवी की, ऐसे ज़ालिम लोगों को ख़ुदा हिदायत नहीं देता।" —28:50

मतलब यह है कि इनसान को सबसे बढ़कर गुमराह करनेवाली चीज़ इनसान के अपने नफ़्स की ख़्वाहिशें हैं। जो व्यक्ति ख़्वाहिशों का बन्दा बन गया, उसके लिए ख़ुदा का बन्दा बनना मुमकिन ही नहीं। वह तो हर वक़्त यह देखेगा कि मुझे रुपया किस काम में मिलता है, मेरी इज़्ज़त और शोहरत किस काम में होती है, मुझे इज़्ज़त और लुत्फ़ किस काम में हासिल होता है, मुझे सुख-चैन किस काम में मिलता है। बस ये चीज़ें जिस काम में होंगी, उसी को वह इख़्तियार करेगा, चाहे ख़ुदा उससे मना करे और ये चीज़ें जिस काम में न हों उसको वह हरगिज़ न करेगा, चाहे ख़ुदा उसका हुक्म दे। तो ऐसे व्यक्ति का ख़ुदा अल्लाह तबारक व तआला न हुआ, उसका अपना मन और नफ़्स ही उसका ख़ुदा हो गया

उसको हिदायत कैसे मिल सकती है? इस बात को दूसरी जगह कुरआन में यूँ बयान किया गया है—

"ऐ नबी! तुमने उस व्यक्ति के हाल पर भी ग़ौर किया जिसने अपने नफ़्स की ख़्वाहिश को अपना ख़ुदा बना लिया है, क्या तुम ऐसे व्यक्ति की निगरानी कर सकते हो, क्या तुम समझते हो कि उनमें से बहुत-से लोग सुनते और समझते हैं? हरगिज़ नहीं, ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गए-गुज़रे।" — 25 : 43-44

नफ़्स के बन्दे का जानवरों से बदतर होना ऐसी बात है जिसमें किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है। कोई जानवर आपको ऐसा न मिलेगा जो ख़ुदा की मुक़र्रर की हुई हद से आगे बढ़ता हो। हर जानवर वही चीज़ खाता है जो ख़ुदा ने उसके लिए मुक़र्रर की है और जितने काम जिस जानवर के लिए मुक़र्रर हैं बस उतने ही करता है। मगर यह इनसान ऐसा जानवर है कि जब यह अपनी ख़्वाहिश का बन्दा बनता है तो ऐसी-ऐसी हरकतें कर गुज़रता है, जिनसे शैतान भी पनाह माँगे।

यह तो गुमराही के आने का पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता यह है कि बाप-दादा से जो रस्मो रिवाज, जो अक़ीदे और ख़याल, जो रंग-ढंग चले आ रहे हों, आदमी उनका गुलाम बन जाए और ख़ुदा के हुक्म से बढ़कर उनको समझे और अगर उसके ख़िलाफ़ ख़ुदा का हुक्म उसके सामने पेश किया जाए तो कहे कि मैं तो वही

करूँगा जो मेरे बाप-दादा करते थे और जो मेरे ख़ानदान और क़बीले का रिवाज है। जो आदमी इस रोग में फँसा है वह ख़ुदा का बन्दा कब हुआ, उसके ख़ुदा तो उसके बाप-दादा और उसके ख़ानदान और क़बीले के लोग हैं। उसको यह झूठा दावा करने का क्या हक़ है कि मैं मुसलमान हूँ? कुरआन करीम में इस बात पर बड़ी चेतावनी दी गई है—

> "और जब कभी उनसे कहा गया कि जो हुक्म ख़ुदा ने भेजा है उसकी पैरवी करो तो उन्होंने यही कहा कि हम तो उस बात की पैरवी करेंगे जो हमें बाप-दादा से मिली है। अगर उनके बाप-दादा किसी बात को न समझते हों और वे सीधी राह पर न हों तो क्या ये फिर भी उन्हीं की पैरवी किए चले जाएँगे।"
> —2 : 170

दूसरी जगह फ़रमाया—

> "और जब उनसे कहा गया कि आओ उस फ़रमान की तरफ़ जो ख़ुदा ने भेजा है और आओ रसूल के तरीक़े की तरफ़ तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए बस वही तरीक़ा काफ़ी है जिसपर हमने अपने बाप-दादा को पाया है, क्या वे बाप-दादा की ही पैरवी किए चले जाएँगे, चाहे उनको किसी बात का इल्म न हो और वे सीधे रास्ते पर न हों? ऐ ईमानवालो! तुमको अपनी फ़िक्र होनी चाहिए। अगर तुम सीधे रास्ते पर लग जाओ तो वे जो गुमराह हैं, तुम्हें कोई नुक़सान न पहुँचा

सकेंगे। फिर आख़िरकार सबको ख़ुदा की तरफ़ वापस जाना है। उस वक़्त ख़ुदा तुमको तुम्हारे कामों का भला-बुरा सब दिखा देगा।'' —5 : 104-105

यह ऐसी गुमराही है जिसमें लगभग हर ज़माने के जाहिल लोग फँसे रहे हैं और हमेशा ख़ुदा के रसूलों की हिदायत को मानने से यही चीज़ रोकती रही है। कुरआन में है कि हज़रत मूसा (अलै०) ने जब लोगों को ख़ुदा की शरीअत की तरफ़ बुलाया था तो उस वक़्त भी लोगों ने यही कहा था —

''क्या तू हमें उस रास्ते से हटाना चाहता है, जिसपर हमने अपने बाप-दादा को पाया है?'' —10 : 78

हज़रत इबराहीम (अलै०) ने जब अपने क़बीलेवालों को शिर्क से रोका तो उन्होंने भी यही कहा था—

''हमने तो अपने बाप-दादा को इन्हीं ख़ुदाओं की बन्दगी करते हुए पाया है।'' —21 : 53

ग़रज़ इसी तरह हर नबी के मुक़ाबले में लोगों ने यही दलील पेश की है कि तुम जो कहते हो हमारे बाप-दादा के तरीक़े के ख़िलाफ़ है। इसलिए हम इसे नहीं मानते। अतः कुरआन में आया है —

''ऐसा ही होता रहा है जब कभी हमने किसी बस्ती में किसी डरानेवाले यानी पैग़म्बर को भेजा तो उस बस्ती के खाते-पीते लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप-दादा को

एक तरीक़े पर पाया है और हम उन्हीं के क़दम ब क़दम चल रहे हैं। पैग़म्बर ने उनसे कहा कि अगर मैं उससे बेहतर बात बताऊँ, जिसपर तुमने अपने बाप-दादा को पाया है, तो क्या फिर भी तुम बाप-दादा की ही पैरवी किए चले जाओगे? उन्होंने जवाब दिया कि हम उस बात को नहीं मानते जो तुम लेकर आए हो। जब उन्होंने यह जवाब दिया तो हमने भी उनको ख़ूब सज़ा दी और अब देख लो कि हमारे हुक्मों को झुठलानेवालों का क्या अंजाम हुआ।'' —43 : 23-25

यह सब कुछ बयान करने के बाद अल्लाह तआला फ़रमाता है कि या तो बाप-दादा ही की पैरवी कर लो, या फिर हमारे ही हुक्म की पैरवी करो। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकतीं। मुसलमान होना चाहते हो तो सबको छोड़कर सिर्फ़ उस बात को मानो जो हमने बताई है—

''जब उनसे कहा गया कि उस हुक्म की पैरवी करो जो ख़ुदा ने भेजा है तो उन्होंने कहा कि 'नहीं हम तो उस बात की पैरवी करेंगे जिसपर हमने अपने बाप-दादा को पाया है।' क्या वे अपने बाप-दादा की पैरवी करेंगे चाहे शैतान उनको जहन्नम के अज़ाब ही की तरफ़ क्यों न बुलाता रहा हो? तो जो अपने आपको बिलकुल ख़ुदा के सुपुर्द कर दे और नेकी करे उसने तो मज़बूत रस्सी थाम ली और आख़िरकार तमाम मामले ख़ुदा के हाथ में हैं, और जिसने उससे इनकार किया तो

ऐ नबी! तुमको उसके इनकार से रंजीदा होने की ज़रूरत नहीं, वे सब हमारी तरफ़ वापिस आनेवाले हैं। फिर हम उन्हें उनके करतूतों का अंजाम दिखा देंगे।'' —31 : 21-23

यह गुमराही के आने का दूसरा रास्ता था। तीसरा रास्ता कुरआन ने यह बताया है कि इनसान जब ख़ुदा के हुक्म को छोड़कर दूसरे लोगों के हुक्म मानने लगता है और यह ख़याल करता है कि फ़लाँ शख़्स बड़ा आदमी है, उसकी बात पक्की होगी, या फ़लाँ शख़्स के हाथ में मेरी रोटी है, इसलिए उसकी बात माननी चाहिए, या फ़लाँ शख़्स बड़ा इख़तियारवाला है, इसलिए उसकी फ़रमाँबरदारी करनी चाहिए, या फ़लाँ साहब अपनी बद्दुआ से मुझे तबाह कर देंगे या अपने साथ जन्नत में ले जाएँगे, इसलिए जो वे कहें वही सही है, या फ़लाँ क़ौम बड़ी तरक़्क़ी कर रही है; उसके तरीक़े इख़तियार करने चाहिएँ, तो ऐसे व्यक्ति पर ख़ुदा की हिदायत का रास्ता बन्द हो जाता है। कुरआन में है—

''अगर तुमने उन बहुत-से लोगों की पैरवी की जो ज़मीन में रहते हैं तो वे तुमको ख़ुदा के रास्ते से भटका देंगे।'' —6 : 116

यानी आदमी सीधे रास्ते पर उस वक़्त हो सकता है जब उसका एक ख़ुदा हो, सैकड़ों-हज़ारों ख़ुदा जिसने बना लिए हों और जो कभी इस ख़ुदा के कहे पर और कभी उस ख़ुदा के कहे पर चलता हो, वह रास्ता कहाँ पा सकता है।

अब आपको मालूम हो गया होगा कि गुमराही के तीन बड़े-बड़े सबब हैं—

1. एक, नफ़्स और मन क़ी बन्दगी।

2. दूसरा, बाप-दादा, ख़ानदान और क़बीले के रिवाजों की बन्दगी।

3. तीसरा, आम तौर पर दुनिया के लोगों की बन्दगी जिनमें दौलतमंद और हाकिम लोग, बनावटी पेशवा और गुमराह क़ौमें, सब ही शामिल हैं।

ये तीन बड़े बुत हैं जो ख़ुदाई के दावेदार बने हुए हैं। जो आदमी मुसलमान बनना चाहता हो उसको सबसे पहले इन तीनों बुतों को तोड़ना चाहिए, फिर वह हक़ीक़त में मुसलमान हो जाएगा। वरना जिसने ये तीनों बुत दिल में बिठा रखे हों उसका ख़ुदा का बन्दा होना मुश्किल है। वह दिन में पचास वक़्त की नमाज़ें पढ़कर और दिखावे के रोज़े रखकर और मुसलमानों की-सी शक्ल बनाकर इनसानों को धोखा दे सकता है, ख़ुद अपने नफ़्स को भी धोखा दे सकता है कि मैं पक्का मुसलमान हूँ, मगर ख़ुदा को धोखा नहीं दे सकता।

भाइयो! आज मैंने आपके सामने जिन तीन बुतों का ज़िक्र किया है उनकी बन्दगी असली शिर्क है। आपने पत्थर के बुत तोड़ दिए, ईंट और चूने से बने हुए बुतख़ाने ढा दिए, मगर सीनों में जो बुतख़ाने बने हुए हैं उनकी तरफ़ कम ध्यान दिया। सबसे ज़्यादा

ज़रूरी, बल्कि मुसलमान होने के लिए पहली शर्त इन बुतों को तोड़ना है। यक़ीन कीजिए कि सारी दुनिया और ख़ुद इस हिन्दुस्तान में मुसलमान जितना नुक़सान उठा रहे हैं, वह इन्हीं तीन बुतों की पूजा का नतीजा है। इनकी तबाही और इनकी ज़िल्लत और मुसीबत की जड़ यही तीन चीज़ें हैं जो आपने अभी मुझसे सुनी हैं। दुनिया में मुसलमानों की तादाद बेहदो हिसाब है, मगर शायद ही इन्हें कोई इज़्ज़त व इख़्तियार हासिल है। इस हिन्दुस्तान में भी आपकी तादाद अच्छी-ख़ासी है, मगर यहाँ आपका कोई वज़न नहीं। कुछ छोटी-छोटी क़ौमों का वज़न आपसे बढ़कर है, इसकी वजह पर भी आपने कभी ग़ौर किया? इसकी वजह सिर्फ़ यह है कि नफ़्स की बन्दगी, ख़ानदानी रिवाजों की बन्दगी और ख़ुदा के सिवा दूसरे इनसानों की बन्दगी ने आपकी ताक़त को अन्दर से खोखला कर दिया है।

आपमें राजपूत हैं, मुग़ल हैं, जाट हैं, अफ़गान है, और बहुत-सी क़ौमें हैं। इस्लाम ने इन सब क़ौमों को एक क़ौम, एक-दूसरे का भाई, एक पक्की दीवार बनने के लिए कहा था, जिसकी ईंट से ईंट जुड़ी हुई हो। मगर आप अब भी वही पुराने जाहिली ख़याल लिए हुए बैठे हैं। जिस तरह यहाँ के ग़ैरमुस्लिमों में अलग-अलग गोत्र हैं, उसी तरह आपमें भी अब तक क़बीले-क़बीले अलग हैं, आपस में मुसलमानों की तरह शादी-ब्याह नहीं। एक-दूसरे से बिरादरी और भाईचारा नहीं, ज़ुबान से आप एक-दूसरे को

मुसलमान भाई कहते हैं, मगर हक़ीक़त में आपके बीच वही सब भेद-भाव हैं जो इस्लाम से पहले थे। इस भेद-भाव ने आपको एक मज़बूत दीवार नहीं बनने दिया, आपकी एक-एक ईंट अलग है। आप न मिलकर उठ सकते हैं और न मिलकर किसी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अगर इस्लाम की तालीम के मुताबिक़ आपसे कहा जाए कि तोड़ो इस भेद-भाव को और आपस में एक हो जाओ, तो आप क्या कहेंगे? बस वही एक बात, यानी हमारे बाप-दादा से जो रिवाज चले आ रहे हैं, उनको हम नहीं तोड़ सकते। इसका जवाब ख़ुदा की तरफ़ से क्या मिलता है, बस यही कि तुम न तोड़ो इन रिवाजों को, न छोड़ो जाहिली रस्मों की पैरवी को, हम भी तुमको टुकड़े-टुकड़े कर देंगे और तुम्हारी तादाद बहुत बड़ी होने के बावजूद तुमको ज़लील व ख़्वार करके दिखा देंगे।

अल्लाह ने आपको हुक्म दिया था कि तुम्हारी विरासत में लड़के और लड़कियाँ सब शरीक हैं। आप इसका जवाब क्या देते हैं? यह कि हमारे बाप-दादा के क़ानून में लड़के और लड़कियाँ शरीक नहीं हैं और यह कि हम ख़ुदा के क़ानून के बजाए बाप-दादा का क़ानून मानते हैं। ख़ुदा के लिए मुझे बताइए क्या इस्लाम इसी का नाम है? आपसे कहा जाता है कि इस ख़ानदानी क़ानून को तोड़िए। आपमें से हर आदमी कहता है कि जब सब तोड़ेंगे तो मैं भी तोड़ दूँगा वरना अगर दूसरों ने लड़की को हिस्सा न दिया और मैंने दे दिया तो मेरे घर की दौलत तो दूसरे के पास चली जाएगी,

मगर दूसरे के घर की दौलत मेरे घर में न आएगी। ग़ौर कीजिए कि इस जवाब के क्या माने हैं? क्या ख़ुदा के क़ानून की पाबन्दी इसी शर्त से की जाएगी कि दूसरे पाबन्दी करें तो आप भी करेंगे? कल आप कहेंगे कि दूसरे ज़िना करेंगे तो मैं भी करूँगा। दूसरे चोरी करेंगे तो मैं भी करूँगा। ग़रज़ दूसरे जब तक सब गुनाह न छोड़ेंगे मैं भी उस वक़्त तक सब गुनाह करता रहूँगा। बात यह है कि इस मामले में तीनों बुतों की पूजा हो रही है। नफ़्स की बन्दगी भी है, बाप-दादा की बन्दगी भी और मुशरिक क़ौमों की बन्दगी भी और इन तीनों के साथ इस्लाम का भी दावा है।

यह सिर्फ़ दो मिसालें हैं, वरना आँख खोलकर देखा जाए तो अनगिनत इसी क़िस्म के लोग आपके अन्दर फैले हुए दिखाई देंगे और इन सबमें आप यही देखेंगे कि कहीं एक बुत की पूजा है और कहीं तीनों बुतों की। जब यह बुत पूजे जा रहे हों और इनके साथ इस्लाम का दावा भी हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपपर उन रहमतों की बारिश होगी जिनका वादा सच्चे मुसलमानों से किया गया है?